संख्या-47/2018/आ0मि0-232/96-आयुष-2-2018-35(बी)/2014

प्रेषक,

यतीन्द्र मोहन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी
लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 30 मार्च, 2018

विषय- इण्डियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल, कॉर्पोरेशन लि0 मोहान, अल्मोडा, उत्तराखण्ड को उत्तर प्रदेश में आयुष औषधियों की आपूर्ति हेतु 50 प्रतिशत अग्रिम धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-683/60/आ0मि0/2017-18, दिनांक 26 मार्च, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इण्डियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल, कॉर्पोरेशन लि0 मोहान, अल्मोडा, उत्तराखण्ड, जो भारत सरकार का उपक्रम है, को राष्ट्रीय आयुष मिशन योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश में आयुष औषधियों (आयुर्वेदिक/यूनानी) की आपूर्ति हेतु शासनादेश संख्या-15/2018/आ0मि0-188/96-आयुष-2-2018-35(बी)/2018, दिनॉक 07 मार्च, 2018 द्वारा रू0 47.16 करोड़ (रूपये सैतालीस करोड़ सोलह लाख मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- उक्त धनराशि में से भारत सरकार के पत्र संख्या-एफ-एच0डी0आर0-13014/03/2010-ए0वाई0डेस्क, दिनॉक 24-11-2010 में दिये गये निर्देशानुसार 50 प्रतिशत अर्थात रू0 23.58 करोड़ (रूपये तेइस करोड़ अट्ठावन लाख मात्र) की धनराशि को अग्रिम भुगतान किये जाने की अनुमति वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनॉक 25-10-1983, संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनॉक 10-06-2011 एवं शासनादेश संख्या-15/2018/आ0मि0-188/96-आयुष-2-2018-35(बी)/2018, दिनॉक 07 मार्च, 2018 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन, श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष प्रदान की जाती है।

भवदीय

(यतीन्द्र मोहन)
विशेष सचिव।

संख्या-47/2018/आ0मि0-232(1)/96-आयुष-2-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- संयुक्त सचिव/निदेशक, आयुर्वेद, योगा एवं नैचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी मंत्रालय, आयुष भवन, बी ब्लाक, जीपीओ काम्पलेक्स, आईएनए, नई दिल्ली।
3- मिशन निदेशक, राज्य आयुष सोसाइटी, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, होम्योपैथी निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त अधिकारी, राज्य आयुष सोसाइटी, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मेसर्स, इण्डियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल, कॉर्पोरेशन लि0 मोहान, अल्मोडा, उत्तराखण्ड।
8- वित्त् (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-3/वित्त् संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं आयुष अनुभाग-1
9- गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in